12/1/23 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष
उप०। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 cpc
सपठित धारा 151 cpc पेश कर
निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी
में खसरा नं: 330/704 के खातेदार
मंजीभाई को तो पक्षकार बनाया लेकिन
ख. नं. 330/703 के किसी खातेदार को पक्षकार
संयोजित नहीं किया साथ ही प्रति. नं:
01 ने उक्त वादग्रस्त भूमि दिनांक
02.01.2021 को बेचान कर दिया जो
दो साल पहले बेचान हुआ खरीददार
को आज दिन तक पक्षकार नहीं बनाया
व प्रतिवादी सं. 01 स्वयं आज वादग्रस्त
आराजी से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है
अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता... जो इस हुक्म ...
	पक्षकारों के कुसंयोजन तथा असंयोजन के आधार पर खारिज करने (योग्य) आदेश होने से पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारणीय है कि विचारणीय वकील वादी जोधु ना गया। ख. नं. 330/703 वीर सिंह पुत्र जोरसिंह के नाम दर्ज है जिसे था उनके निधन वारिसान को पक्षकार संयोजित नहीं किया जबकि उनके वादीया ने खातेदारी अधिकार की मांग की है। साथ ही विक्रय विलेख के अनुसार ख.नं. 330/704 प्र.वि.नं. 01 ने दो साल पूर्व बेचान कर दिया। खातेदार को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाने से वादपत्र Abet हो चुका है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर पक्षकारों के कुसंयोजन व Abet होने से पक्षकारों के असंयोजन व Abet होने के कारण इसी स्तर पर खारिज होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादीया पुनः सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाकर विधि अनुसार पृथक से वादपत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा से सूचित की जाकर दाखिल दफ्तर हो। 12/1/24 सहायक कलेक्टर (S. D. O.) रेवदर	